बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं0 421 (H.S) पटना, दिनांक 27-8-2012

ऐसा पाया गया है कि सेवा संबंधी मामलों को लेकर विभाग के विरूद्ध बहुत सारी याचिकाएँ तथा अवमाननावाद दायर किए गए हैं। इस बिन्दु पर विचार करने से स्पष्ट हुआ है कि यदि सेवा संबंधी मामलों का समयबद्ध निष्पादन किया जाता रहे तो अनावश्यक मुकदमों के बोझ से बचा जा सकता है। ऐसे भी राज्य सरकार सुशासन के प्रति कृतसंकल्प है। अतएव इन मामलों पर समयबद्ध एवं त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।

2. यह भी पाया गया है कि यदि भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को देखते हुए कार्मिकों एवं अन्य व्यवस्थाओं पर गंभीर विवेचन करना हो तो इसके लिए विभाग में एक 'थिंक टैंक' का होना आवश्यक है। 'थिंक टैंक' में वरीय पदाधिकारी होंगे जो विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं/ अध्ययनों के आलोक में विभाग को भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के मद्देनजर की जाने वाली तैयारियों पर उचित अनुशंसा दे सकेंगे।

3. उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित रूप से 'विभागीय स्थायी समिति' का गठन किया जाता है :

1. श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक–सह–सचिव, स्वास्थ्य विभाग– अध्यक्ष
2. श्री आशीष कुमार, सचिव (प0क0) – उपाध्यक्ष
3. श्री आर0पी0 ओझा, अपर सचिव – सदस्य
4. श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव – सदस्य–संयोजक
5. श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्हा, निदेशक प्रमुख – सदस्य
6. श्री श्याम सुन्दर सिंह, निदेशक, देशी चिकित्सा – सदस्य
7. श्री सांवर भारती, प्रशासी पदाधिकारी – सदस्य
8. श्री मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी – सदस्य

4. उपरोक्त समिति रिक्त पदों पर स्थानांतरण/ पदस्थापन, सेवान्त लाभ, सेवा विनियमन, प्रोन्नति, वरीयता निर्धारण, कार्मिकों की सूची का कम्प्यूटरीकरण, विभागीय कार्यवाही के समयबद्ध निष्पादन एवं भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकता को देखते हुए

कार्मिकों एवं अन्य संसाधनों आदि की व्यवस्था के संबंध में संबंधित प्रशाखाओं के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कराएगी ताकि सभी मामलों का समयबद्ध एवं सम्यक निष्पादन किया जा सके।

5. उपरोक्त विषयों के अलावा समिति आवश्यकतानुसार अन्य बिन्दुओं, जिसे वह आवश्यक समझेगी, पर भी विचार कर प्रस्ताव दे सकेगी। समिति की बैठक सप्ताह में कम–से–कम एक बार अवश्य होगी। उक्त बैठक में समिति, विभाग के अन्य पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का सहयोग ले सकेगी।

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..... /
पटना, दिनांक .....
प्रतिलिपि – समिति के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 421 (HS) /
पटना, दिनांक 27.8.2012
प्रतिलिपि – सभी विभागीय पदाधिकारियों (मुख्यालय स्थित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/8/12
(व्यास जी)
प्रधान सचिव